

राजस्व लोक अदालत
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / 18 / 2018

दायर दि 7/5/2018
फैसल दि 7/5/2018

श्री मणीलाल पिता
भूराजी पंचायत
(वादी)

अनवान
बनाम

श्री श्री तहसीलदार
सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री मणीलाल पिता भूराजी पंचायत ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा भूमि के खाता नम्बर 661 जमाबन्दी सं० 2073-2076
में अंकित स्वयं/पिता का नाम मणीलाल पिता भूराजी
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
पुकाश चन्द है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम मणीलाल
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम पुकाश चन्द पिता भूराजी
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा भूमि की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के
खाता संख्या 661 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम
मणीलाल में संशोधन कर सही नाम
पुकाश चन्द पिता भूराजी दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा